

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 13.05.2025

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में जनदीय एसओजी व थाना धनघटा पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध चलाया गया अभियान,

10 भट्टी व 2000 ली0 लहन किया गया नष्ट

95 लीटर अपमिश्रित देशी कच्ची शराब मय शराब बनाने के उपकरण के साथ 05 नफर अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***जनपदीय एसओजी व थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री व परिवहन के संबंध में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत बड़गो ईंट भट्टा में अवैध शराब बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 10 भट्टी व 2000 ली0 अवैध लहन को नष्ट करते हुए 95 लीटर अपमिश्रित देशी कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 05 नफर अभियुक्ताओ को किया गया गिरफ्तार ।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 210/2025 धारा 60(2),63 आबकारी अधि0 व 274,61(2) (B) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण

1. दिलसरी देवी पत्नी तेजू साहू साकिन ग्राम गुड़ी बागी थाना कैरो जनपद लोहरदगा झारखण्ड ।
2. बालमन्ती पत्नी अनूप निवासी ग्राम चपका थाना घाघरा जनपद गुमला झारखण्ड ।
3. मुन्नी देवी पत्नी कंचन लोहरा निवासी ग्राम लोहरदगा थाना लोहरदगा जनपद लोहरदगा झारखण्ड ।
4. सुषमा पत्नी बेनी साहू निवासी ग्राम सलगी थाना कुडु जनपद लोहरदगा झारखण्ड ।
5. मुन्नी देवी पत्नी मनोज निवासी ग्राम मिठौरा बाजार हरतोरवा थाना निचलौल जनपद महाराजगंज ।

***मुकदमें से सम्बन्धित नामित 03 अन्य अभियुक्तगण(गिरफ्तारी शेष)*-**

1. राजू पुत्र अज्ञात ।
2. पंकज साहू पुत्र अज्ञात ।
3. ईंट भट्टा मालिक रविन्द्र राय ।

बरामदगी का विवरण: -

1. 01 अदद एल्युमिनियम के तसले में करीब 950 ग्राम यूरिया व 450 ग्राम नौसादर ।
2. 05 अदद एल्युमिनियम का तसला ।
3. 05 अदद लोहे का टीना नलकी लगी हुई ।
4. 05-05 लीटर के 19 प्लास्टिक के जरिकैन मे करीब 95 लीटर अपमिश्रित देशी कच्ची शराब ।
5. 10 शराब बनाने की भट्टी ।
6. 2000 ली0 लहन ।

पुलिस टीम का विवरण: -

1. प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री रामकृष्ण मिश्र, हे0का0 आनन्द दुबे, हे0का0 प्रमोद कुमार राय, हे0का0 मनोज कुमार, का0 सोनू, का0 आशुतोष पाण्डेय, का0 विनय सिंह, का0 सत्यम सिंह, म0का0 गुन्जन पाण्डेय, म0का0 ललिता तिवारी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।
2. प्रभारी निरीक्षक एसओजी श्री सर्वेश राय, का0 दीपक सिंह , का0 सर्वेश कुमार मिश्र , का0 बीर बहादुर यादव , का0 शुभम कुमार , का0 अरुण कुमार , का0 विवेक मिश्र एसओजी संतकबीरनगर ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 166 वाहनों से 1,86,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 166 वाहनों से 1,86,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।